

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा
पत्रांक-1425/331 दिनांक, गोण्डा, अक्टूबर-07/2016
सेवा में,

टेशीटोरी मैनेजर रिटेल भारत पेदोलियम कारपोरेशन
देवरिया बाईपास रोड बैतालपुर जिला देवरिया ।

विषय:- जनपद बलरामपुर में बलरामपुर-उतरौला मार्ग एस0एच0-26 के किमी0 24-23 मध्य बायी पटरी पर ग्राम गोदीपुर गाटा संख्या-388 ख पर भारत पेदोलियम लि0 द्वारा पेदाप पम्प के स्थापना पर रिटेल आउटलेट के आवागमन हेतु 0.08391 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-एफ. पी./यू0पी0/अदर्स/17403/2016)

सन्दर्भ:- उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-पी0-138/14-2-2016-800(131)/2016 दिनांक-27-09-2016

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति पत्र आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करें, जिसके अनुसार शर्त संख्या-1, व 2 पर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा से सम्बन्धित निम्नलिखित धनराशि जमा करते हुए सन्दर्भित आदेश के प्रत्येक विन्दु का अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें ।

क्रमांक	शर्त संख्या व विवरण	धनराशि
1	एन0पी0वी0धनराशि शर्त संख्या-7 प्रस्तावक विभाग I द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0दिनांक-5-2-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्धवर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी । शासनादेशानुसार खुले वन के लिए इको क्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 6.26 लाख की दर से 0.08391 हे0 हेतु अर्थात (0.08391×6.26=52528.00)	52,528.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण धनराशि शर्त संख्या-27- प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा । (100 ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण)	4,56,121.00
	योग-	5,08,649.00

(रुपये पाँच लाख, आठ हजार छः सौ उन्चास मात्र)

उपरोक्त धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां "प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स "में जमा की जायेगी, कृपया रू0-5,08,649.00 को उक्त खाते में भुगतान करें एवं पावती की मूल रसीद (जमा की गयी धनराशि की ई-पोर्टल की रसीद, बैंकड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0) अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध करायें । सैद्धान्तिक स्वीकृति के विन्दुवार अनुपाल आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है ।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

(डा0टी0रंगाराजू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा

संख्या- / उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा) उ0 प्र0 लखनऊ ।
- 3- वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त, उ0 प्र0 गोण्डा ।

(डा0टी0रंगाराजू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा